

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 835/2024

अनवान : -

1- मघाराम पुत्र बिड़दाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

- 1- रेवन्तराम पुत्र बिड़दाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 2- कविता पत्नी मांगीराम जाति जाट निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
- 3- मांगीलाल पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
- 4- राजेन्द्र पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
- 5- कृष्णलाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 6- धर्मपाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 7- विद्या पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 8- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदार अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 20/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 374/318 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 5.2750 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 413/355 के कुल खसरे 26 की कुल तादादी 6.047 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 374/318 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 5.2750 है० भूमि के प० नं. 156/33 (149) के किला नं. 1 की 0.2530 है०, 10 की 0.2530 है० भूमि में से मिन उत्तर की 0.21505 है०, 19 की 0.2530 है० में से मिन मध्य की 0.08855 है० व 12/1 की 0.038 है०, प० नं० 156/25 (148) के किला नं. 6 की 0.2530 है०, 15 की 0.2530 है० भूमि वादी काबिज है


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा प० नं० 155/40 (113) के किला नं. 21/1 की 0.2020 है०, 22 की 0.2280 है० प० नं० 156/33 (149) के किला नं. 11 की 0.2530 है०, 20 की 0.2530 है०, 19 की 0.2530 है० भूमि में से मिन पश्चिम की 0.03795 है० व 10 की 0.2530 है० में से मिन दक्षिण की 0.03795 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है तथा प० नं० 156/33 (149) के किला नं. 19 की 0.2530 है० में से मिन पूर्व की 0.1265 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ब० हि० ब० काबिज है एवं प० नं० 156/33 (149) के किला नं. 21 की 0.2530 है०, 22 की 0.2530 है० व प० नं० 156/25 (148) के किला नं. 16 की 0.2530 है०, 25 की 0.2530 है० व प० नं० 156/26 (166) के किला नं. 5 की 0.2530 है०, 6 की 0.2530 है० प० नं० 156/34 (165) के किला नं. 1 की 0.2530 है०, 2 की 0.2530 है०, 9 की 0.2530 है०, 10 की 0.2530 है० प० नं० 156/35 (212) के किला नं. 1 की 0.2530 है०, 2 की 0.2530 है० भूमि में से 0.5060 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व 1.265 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व 1.265 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है व खाता संख्या 413/355 की कुल 6.047 है० में से प० नं० 156/33 (149) के किला नं. 12/2 की 0.2150 है० भूमि में से मिन पश्चिम की 0.08855 है० भूमि पर वादी काबिज है व शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही वादी व प्रतिवादीगण वाद

भूमि पर काबिज है तथा मुताबिक बंटवारा ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/सहमति के आधार पर खाता व लगान का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 374/318 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 5.2750 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 413/355 के कुल खसरे 26 की कुल तादादी 6.047 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही वादी व प्रतिवादीगण वाद भूमि पर काबिज है तथा मुताबिक बंटवारा ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाना चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 374/318 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 5.2750 है० भूमि के प० नं. 156/33 (149) के किला नं. 1 की 0.2530 है०, 10 की 0.2530 है० भूमि में से मिन उत्तर की 0.21505 है०, 19 की 0.2530 है० में से मिन मध्य की 0.08855 है० व 12/1 की 0.038 है०, प० नं० 156/25 (148) के किला नं. 6 की 0.2530 है०, 15 की 0.2530 है० भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 155/40 (113) के किला नं. 21/1 की 0.2020 है०, 22 की 0.2280 है० प० नं० 156/33 (149) के किला नं. 11 की 0.2530 है०, 20 की 0.2530 है०, 19 की 0.2530 है० भूमि में से मिन पश्चिम की 0.03795 है० व 10 की 0.2530 है० में से मिन दक्षिण की 0.03795 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 156/33 (149) के किला नं. 19 की 0.2530 है० में से मिन पूर्व की 0.1265 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प० नं० 156/33 (149) के किला नं. 21 की 0.2530 है०, 22 की 0.2530 है० व प० नं० 156/25 (148) के किला नं. 16 की 0.2530 है०, 25 की 0.2530 है० व प० नं० 156/26 (166) के किला नं. 5

की 0.2530 है0, 6 की 0.2530 है0 प0 नं0 156/34 (165) के किला नं. 1 की 0.2530 है0, 2 की 0.2530 है0, 9 की 0.2530 है0, 10 की 0.2530 है0 प0 नं0 156/35 (212) के किला नं. 1 की 0.2530 है0, 2 की 0.2530 है0 भूमि में से 0.5060 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1.265 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1.265 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 413/355 की कुल 6.047 है0 में से प0 नं0 156/33 (149) के किला नं. 12/2 की 0.2150 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.08855 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 835/2024

अनवान : -

1- मघाराम पुत्र बिड़दाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

- 1- रेवन्तराम पुत्र बिड़दाराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 2- कविता पत्नी मांगीराम जाति जाट निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
- 3- मांगीलाल पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
- 4- राजेन्द्र पुत्र दशरथ जाति जाट निवासी 25 आरडब्ल्यूडी तहसील रावतसर।
- 5- कृष्णलाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 6- धर्मपाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 7- विद्या पत्नी रतीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 8- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 835 सन 2024 निर्णय दिनांक 20/9/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 374/318 के कुल खसरे 22 की कुल तादादी 5.2750 है0 भूमि के प0 नं. 156/33 (149) के किला नं. 1 की 0.2530 है0, 10 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन उत्तर की 0.21505 है0, 19 की 0.2530 है0 में से मिन मध्य की 0.08855 है0 व 12/1 की 0.038 है0, प0 नं0 156/25 (148) के किला नं. 6 की 0.2530 है0, 15 की 0.2530 है0 भूमि वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 155/40 (113) के किला नं. 21/1 की 0.2020 है0, 22 की 0.2280 है0 प0 नं0 156/33 (149) के किला नं. 11 की 0.2530 है0, 20 की 0.2530 है0, 19 की 0.2530 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.03795 है0 व 10 की 0.2530 है0 में से मिन दक्षिण की 0.03795 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 156/33 (149) के किला नं. 19 की 0.2530 है0 में से मिन पूर्व की 0.1265 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 156/33 (149) के किला नं. 21 की 0.2530 है0, 22 की 0.2530 है0 व प0 नं0 156/25 (148)

21

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के किला नं. 16 की 0.2530 है0, 25 की 0.2530 है0 व प0 नं0 156/26 (166) के किला नं. 5 की 0.2530 है0, 6 की 0.2530 है0 प0 नं0 156/34 (165) के किला नं. 1 की 0.2530 है0, 2 की 0.2530 है0, 9 की 0.2530 है0, 10 की 0.2530 है0 प0 नं0 156/35 (212) के किला नं. 1 की 0.2530 है0, 2 की 0.2530 है0 भूमि में से 0.5060 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1.265 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1.265 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 413/355 की कुल 6.047 है0 में से प0 नं0 156/33 (149) के किला नं. 12/2 की 0.2150 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 0.08855 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर